मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 14, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले में तीन आदिवासियों की भूख से मौत होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम खपरीडीह की वन भूमि में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के –

(क) ग्राम रामनगर बुजुर्ग स्थित उप–स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, कम्पाउण्डर एवं नर्स की नियुक्ति किये जाने ;
(ख) ग्राम रामनगर बुजुर्ग में हाई स्कूल खोले जाने ; तथा
(ग) ग्राम लारौन से परा तक सड़क बनाई जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 25 सन् 1996) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1996) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

1 घन्टा — (3) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 22 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (4) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 23 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 24 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

5. नियम 130 के अधीन चर्चा

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

2 घन्टे " मध्यप्रदेश की यह विधान सभा समवेत् रूप से यह निर्णय करती है कि बुधवार, दिनांक 2 जनवरी, 1985 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एम-19-342-84-4-एक के तारतम्य में वर्तमान विधान सभा भवन के नामकरण को "इंदिरा गांधी विधान भवन" के रूप में मान्य करते हुए इसे प्रचलित करने, यथा स्थान उत्कीर्ण करने और प्रदर्शित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए".

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. (1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. (2) प्रदेश में निरन्तर गिरते भू-जल स्तर को रोकने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 27 नवम्बर, 1996 को गृह मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 419) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 4 दिसम्बर, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा